वित्त मंत्रालय

डीआरआई की "ऑपरेशन वीड आउट" के तहत मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों पर कार्रवाई जारी

20 दिनों से भी कम समय में डीआरआई ने अलग-अलग अखिल भारतीय अभियानों में 108.67 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया

प्रविष्टि तिथि: 16 SEP 2025 4:17PM by PIB Delhi

पूरे भारत में चल रहे "ऑपरेशन वीड आउट" के तहत, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने 13-14 सितंबर 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई से 39.2 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया है। स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत एक समन्वित अभियान में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

एक विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर, डीआरआई अधिकारियों ने बैंकॉक से आ रहे दो भारतीय नागरिकों को पकड़ा। उनके सामान की गहन जाँच के बाद, 39 पैकेट हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया जिसका वजन 39.2 किलोग्राम था। तुरंत कार्रवाई के बाद उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन तक यह माल पहुंचाया जाना था।

एक अन्य मामले में, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, डीआरआई के अधिकारियों ने बैंकॉक, थाईलैंड से मुंबई तस्करी करके लाए जा रहे 7.8 किलोग्राम (कुल वजन) हाइड्रोपोनिक वीड को जब्त किया और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दो यात्रियों को गिरफ्तार किया।

डीआरआई ने 26 अगस्त से 12 सितंबर 2025 की अवधि के दौरान जयपुर, लखनऊ और कोलकाता सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में बैंकॉक, थाईलैंड से तस्करी करके भारत में लाए जा रहे 61.67 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड को अलग से जब्त किया है।

गौरतलब है कि इससे पहले 20 और 21 अगस्त 2025 को अखिल भारतीय अभियान में डीआरआई ने 1.02 करोड़ रुपये की अवैध आय के साथ लगभग 72 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 72.024 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की थी और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत फाइनेंसरों और एक सरगना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था।

पिछले एक साल में, विभिन्न हवाई अड्डों के ज़रिए थाईलैंड से भारत में हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी के प्रयासों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। डीआरआई देश में हाइड्रोपोनिक वीड की तस्करी करने वाले ऐसे ड्रग सिंडिकेट के ख़िलाफ़ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है, जिससे भारत सरकार के नशा मुक्त भारत के सपने को बल मिल रहा है।

***

पीके/केसी/एसके

(रिलीज़ आईडी: 2167222) आगंतुक पटल : 73

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Gujarati , Telugu , Tamil , English , Urdu